

गध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ : 12/2012/सा/मेडि-2
प्रति,

भोपाल, दिनांक 12/09/2012

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- रागरत विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर / ग्वालियर / इन्दौर, म.प्र.,
- 5- रागरत रांगागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,

विषय:- भोपाल केयर हॉस्पिटल, भोपाल को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

.....0000000.....

राज्य शासन एतद्वारा चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 के नियम -2 (च) के अन्तर्गत भोपाल केयर हॉस्पिटल, भोपाल को शासकीय सेवकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित जांच/उपचार हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये राशर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

क्र.	उपचार/जांच	दर
1	Total HIP Replacament	81,000/-
2	Total Knee Replacament	99,000/-
	Spinal Surgeris	
1.	Cervical	14,000/-
2	Dorsel	14,000/-
3.	Lumber	14,000/-
	Head injury	
1.	Acute SDH	16,000/-
2.	EDH	16,000/-
3.	Malignant Tumor	20,000/-
4.	Benign Tumor	21,000/-
5.	RFLG For trigeminal	8,500/-

2- यह मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी :-

- 1- चिकित्सालय द्वारा संचालक चिकित्सा सेवार्यें द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखनी होगी तथा प्रत्येक माह की 7 तारीख को संचालक चिकित्सा सेवार्यें म. प्र.भोपाल को भेजी जावेगी।
- 2- चिकित्सालय द्वारा उक्त दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा।
- 3- मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- 4- जानकारी समय पर न भेजने, शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने, संस्थान द्वारा दी जाने वाली परीक्षण संबंधी सुविधायें उपयुक्त/मानक स्तर की न पाये जाने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मान्यता किसी भी समय पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

निरन्तर.....2

- 5- संचालक चिकित्सा सेवाएँ व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय-समय पर जांच करने के लिये, कि संस्थान सुविधायें उपलब्ध न रहती हैं, संस्थान की जांच कर रहे हैं।
- 6- जिला शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान रोगों के अन्तर्गत निदान/उपचार के लिये पात्रता है, उस शासकीय सेवक को पदस्थापना के निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में कंसलटेन्ट को दिखाना होगा। कंसलटेन्ट द्वारा निदान की गितान्त आवश्यकता के प्रमाण पत्र की जांच एक समिति करेगी, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के डीन तथा मेडीकल और सर्जरी के विभागाध्यक्ष रहेंगे। जिला मुख्यालयों पर उक्त प्रमाण पत्र की जांच सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोगों से संबंधित विशेषज्ञ (रोग विशेषज्ञ) करेंगे।
- 7- उक्त चिकित्सालय में उपचार कराने / परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति उक्त निर्धारित दरों पर की जावेगी। यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित सदस्य इससे महंगी चिकित्सा या अन्य परीक्षण उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार वह स्वयं वहन करेगा।
- 8- उक्त निर्धारित परीक्षणों के दरों की समीक्षा/पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा।
- 9- संस्थान को जिन निर्धारित दरों (एप्रूव्ड रेट लिस्ट) पर गान्यता प्रदान की गई है उन्ही दरों पर रोगी की जांच की जावेगी।
- 10- संस्थान को नर्सिंग होम एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
- 3/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेश जैन)
उप सचिव 12.9.12

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 12/09/2012

पृ.क्रमांक एफ 9-12/2012/सत्रह/मेडि-3

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 / 2 म.प्र. ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित।

- 2- सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 के संदर्भ में अग्रेषित।
- 3- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
- 4- संचालक, चिकित्सा सेवाएँ/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।
- 5- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
- 6- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. भोपाल।
- 7- अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल म.प्र.।
- 8- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
- 9- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
- 10- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।
- 11- संचालक, भोपाल केयर हॉस्पिटल, भोपाल।

(राजेश जैन)
उप सचिव 12.9.12

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-18/2011/सत्रह/मो-3
प्रति,

गोपाल, दिनांक 12/09/2012

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- रागस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर, म.प्र.,
- 5- समस्त सांभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,

विषय:- पाण्डेय हॉस्पिटल प्रा.लि. जबलपुर को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

.....0000000.....

राज्य शासन एतद्वारा चिकित्सा परिवर्धन नियम 1958 के नियम -2 (ब) के अन्तर्गत पाण्डेय हॉस्पिटल प्रा.लि. जबलपुर को शासकीय सेवकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित जांच/उपचार हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये सशर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

क्र.	उपचार/जांच	दर
1	Total HIP Replacament	81,000/-
2	Total Knee Replacament	99,000/-
	Spinal Surgeris	
1.	Cervical	14,500/-
2.	Dorsel	14,500/-
3	Lumber	14,500/-
	Head injury	
1.	Acute SDH	16,375/-
2.	EDH	16,375/-
3.	Malignant Tumor	20,700/-
4.	Benign Tumor	21,200/-
5.	RFLG For trigeminal	8,550/-
	Neurosurgery	
1.	Neurosurgery	60,000/-
	KIDNEY DISEASE	
1.	Dialysis(Hemo Dialysis)	500/-

2- यह मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी :-

- 1- चिकित्सालय द्वारा संचालक चिकित्सा सेवाएँ द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखनी होगी तथा प्रत्येक माह की 7 तारीख को संचालक चिकित्सा सेवाएँ म. प्र. गोपाल को भेजी जावेगी।
- 2- चिकित्सालय द्वारा उक्त दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा।
- 3- मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- 4- जानकारी समय पर न भेजने, शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने, संस्थान द्वारा दी जाने वाली परीक्षण संबंधी सुविधाएँ उपयुक्त/मानक स्तर की न पाये जाने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मान्यता किसी भी समय पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

निरन्तर.....2

- 5- संचालक चिकित्सा सेवाएँ व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय-समय पर जांच करने के लिये, कि समस्त सुविधायें उपयुक्त स्तर की हैं, संस्थान की जांच कर राकेगे।
 - 6- जिस शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निदान / उपचार के लिये पात्रता है, उस शासकीय सेवक को पदस्थापना के निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में कंसलटेन्ट को दिखाना होगा। कंसलटेन्ट द्वारा निदान की गितान्त आवश्यकता के प्रमाण पत्र की जांच एक समिति करेगी, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के डीन तथा मेडीकल और सर्जरी के विभागाध्यक्ष रहेंगे। जिला मुख्यालयों पर उक्त प्रमाण पत्र की जांच सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोगों से संबंधित विशेषज्ञ (रोग विशेषज्ञ) करेंगे।
 - 7- उक्त चिकित्सालय में उपचार कराने / परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति उक्त निर्धारित दरों पर की जावेगी। यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित सदस्य इससे महंगी चिकित्सा या अन्य परीक्षण उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार वह स्वयं वहन करेगा।
 - 8- उक्त निर्धारित परीक्षणों के दरों की समीक्षा / पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा।
 - 9- संस्थान को जिन निर्धारित दरों (एप्रूव्ड रेट लिस्ट) पर मान्यता प्रदान की गई है उन्ही दरों पर रोगी की जांच की जावेगी।
 - 10- संस्थान को नर्सिंग होम एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
- 3/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेश जी) 12.9.12
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 9-18/2012/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 12/09/2012

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 / 2 म.प्र. ग्वालियर की ओर वित्त

विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित।

- 2- सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 के संदर्भ में अग्रेषित।
- 3- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
- 4- संचालक, चिकित्सा सेवाएँ/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।
- 5- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
- 6- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. भोपाल।
- 7- अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर म.प्र.।
- 8- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
- 9- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.
- 10- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।
- 11- संचालक, पाण्डेय हॉस्पिटल प्रा.लि. जबलपुर।

(राजेश जी) 12.9.12
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

गध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

सं. 9-15/2012/सं. मेडि-3

दिनांक 12/09/2012

प्रति,

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर / ग्वालियर / इन्दौर, म.प्र.,
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,

विषय:- सिटी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर जबलपुर को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

.....0000000.....

राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित नियम 1958 के नियम -2 (ब) के अन्तर्गत सिटी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर जबलपुर का शासकीय सेवकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित जांच/उपचार हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये सशर्त पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

क्र.	उपचार/जांच	दर
1	Single Valve Replacement	1,30,000/-
2	Double Valve Replacement	1,65,000/-
3	By Pass Surgery CABG	1,00,000/- (including Coronary Angiography)
4	Angioplasty with stent	72,000/- coronary Angioplasty with one stent (non drug eluting) 72,000/- + 25,000/- = 97,000/- For second stent Extra Rs.25000/-
5	CHD/ASD/VSD	80,000/- ASD Surgical or device closure 90,000/- VSD closure Surgical or device closure

2- यह मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी :-

- 1- चिकित्सालय द्वारा संचालक चिकित्सा सेवाएँ द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखनी होगी तथा प्रत्येक माह की 7 तारीख को संचालक चिकित्सा सेवाएँ म. प्र. भोपाल को भेजी जावेगी।
- 2- चिकित्सालय द्वारा उक्त दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जागा आवश्यक होगा।
- 3- मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- 4- जानकारी समय पर न भेजने, शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने, संस्थान द्वारा दी जाने वाली परीक्षण संबंधी सुविधायें उपयुक्त/मानक स्तर की न पाये जाने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मान्यता किसी भी समय पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
- 5- संचालक चिकित्सा सेवाएँ व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय-समय पर जांच करने के लिये, कि समस्त सुविधायें उपयुक्त स्तर की हैं, संस्थान की जांच कर सकेंगे।

निरन्तर.....2

- 6- जिस शासकीय सेवक या उसकी पत्नी के रोगों को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निदान/उपचार के लिये पात्रता है, उस शासकीय सेवक को पदस्थापना के निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में कंसलटेन्ट को दिखाना होगा। कंसलटेन्ट द्वारा निदान की नितान्त आवश्यकता के प्रमाण पत्र की जांच एक समिति करेगी, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के डीन तथा मेडीकल और सर्जरी के विभागाध्यक्ष रहेंगे। जिला मुख्यालयों पर उक्त प्रमाण पत्र की जांच सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोगों से संबंधित विशेषज्ञ (रोग विशेषज्ञ) करेंगे।
- 7- उक्त चिकित्सालय में उपचार कराने / परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति उक्त निर्धारित दरों पर की जावेगी। यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित सदस्य इससे महंगी चिकित्सा या अन्य परीक्षण उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार वह स्वयं वहन करेगा।
- 8- उक्त निर्धारित परीक्षणों के दरों की समीक्षा/पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा।
- 9- संस्थान को जिन निर्धारित दरों (एप्रूव्ड रेट लिस्ट) पर मान्यता प्रदान की गई है उन्हीं दरों पर रोगी की जांच की जावेगी।
- 10- संस्थान को नर्सिंग होम एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
- 3/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 द्वारा दी गई सहगति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेश जैन)
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 9-15/2012/सत्रह, भेडि-3

भोपाल, दिनांक 12/09/2012

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 / 2 म.प्र. ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिरूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित।

- 2- सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 के संदर्भ में अग्रेषित।
- 3- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
- 4- संचालक, चिकित्सा सेवाएँ/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।
- 5- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
- 6- संयुक्त संचालक, (एग.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. भोपाल।
- 7- अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर म.प्र.।
- 8- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
- 9- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
- 10- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।
- 11- संचालक, सिटी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर जबलपुर।

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-11 / 2010 / सत्रह / मेडि-3

भोपाल, दिनांक 14 / 09 / 2012

प्रति,

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर / ग्वालियर / इन्दौर, म.प्र.,
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,

विषय:- रेडक्रास हास्पिटल एण्ड डायनोस्टिक सेंटर शिवाजी नगर, भोपाल, को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच / उपचार हेतु चिकित्सा देखक पारित करने के संबंध में आदेश निरस्त करने बाबत ।

इस विभाग के आदेश क्रमांक 383 / 275 / सत्रह / मेडि-4, दिनांक 4 / 3 / 1992 तथा संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ के पत्र क्रमांक 4 / एम.आर. / मान्यता / सेल-2 / 2009 / 2064, दिनांक 30.6.2009 एवं इसके अनुक्रम में आदेश क्रमांक एफ 9-9 / 2010 / सत्रह / मेडि-3, दिनांक 6.4.2010 द्वारा रेडक्रास हास्पिटल एण्ड डायनोस्टिक सेंटर भोपाल को शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों द्वारा अंशकालीन एवं पूर्णकालीन शासकीय चिकित्सक से उपचार कराने पर उपचार व्यय एवं पैथर्लॉजी जांच पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु मान्यता प्रदान की गई थी। उक्त आदेशों को राज्य शासन एवम् द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

2/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक जावक क्रमांक 1633 / 1622 / 2012 / नि / वार, दिनांक 12 / 09 / 2012 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेश जैन) 12/9/12
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 14 / 09 / 2012

पृ.क्रमांक एफ 9-11 / 2010 / सत्रह / मेडि-3

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 / 2 म.प्र. ग्वालियर की और वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित।

- 2- सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1633 / 1622 / 2012 / नि / वार, दिनांक 12 / 09 / 2012 के संदर्भ में अग्रेषित।
- 3- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
- 4- संचालक, चिकित्सा सेवाएँ / लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।
- 5- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
- 6- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. भोपाल।
- 7- अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल म.प्र.।
- 8- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
- 9- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.
- 10- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।
- 11- संचालक, रेडक्रास हास्पिटल एण्ड डायनोस्टिक सेंटर शिवाजी नगर, भोपाल

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-9/2007/सत्रह/मेडि-3
प्रति,

भोपाल, दिनांक 1/09/2012

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर, म.प्र.,
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.।

विषय:- एम.आर.आई. डायग्नोस्टिक सेंटर जबलपुर को शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों की जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता में वृद्धि बाबत।

—000—

राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-9, 2007/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 25/10/2010 के अनुक्रम में एम.आर.आई. डायग्नोस्टिक सेंटर जबलपुर को शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की जांच/उपचार हेतु दिनांक 17/01/2012 तक दी गई मान्यता अवधि वृद्धि में इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-14/2010/17/मेडि-3, दिनांक 02.02.2012 में उल्लेखित जांच/उपचार हेतु पुर्ननिर्धारित की गई दरों के अनुसार दो वर्ष अर्थात् दिनांक 17/01/2014 तक के लिये वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के संकेत
तथा आदेशानुसार

(राजेश जैन)
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 12/09/2012

पृ. क्रमांक एफ 9-1/2007/सत्रह/मेडि-3

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1/2 म.प्र.ग्वालियर की और वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित।

2- सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 के संदर्भ में अग्रेषित।

3- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।

4- संचालक, चिकित्सा सेवाएँ/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।

5- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र.भोपाल।

6- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. भोपाल।

7- अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर म.प्र.।

8- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।

9- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन राह मुख. अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।

10- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।

11- संचालक, एम.आर.आई. डायग्नोस्टिक सेंटर जबलपुर (म.प्र.)

की और सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

12.9.2012

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-14/2012/सदर/मेडि-2
प्रति,

भोपाल, दिनांक 12/09/2012

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- रागस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर, ग.प्र.,
- 5- रागस्त रांगागीय आयुक्त, ग.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,

विषय:- वीनस एम.आर.आई एण्ड एम.डी.सीटी सेंटर भोपाल को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

.....0000000.....

राज्य शासन एतद्वारा चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 के नियम - 2 (च) के अन्तर्गत वीनस एम.आर.आई एण्ड एम.डी.सीटी सेंटर भोपाल को शासकीय सेवकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित जांच/उपचार हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये राशतों पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

क.	उपचार/जांच	दर
1	सीटी स्कैन हेड	1500/-
2	सीटी स्कैन अदर बाडी पार्ट्स	2900/-
3	एम.आर.आई	3000/-

2- यह मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी :

- 1- चिकित्सालय द्वारा संचालक चिकित्सा सेवायें द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखनी होगी तथा प्रत्येक माह की 7 तारीख को संचालक चिकित्सा सेवाएँ ग. प्र.भोपाल को भेजी जावेगी।
- 2- चिकित्सालय द्वारा उक्त दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा।
- 3- मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- 4- जानकारी समय पर न भेजने, शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने, संस्थान द्वारा दी जाने वाली परीक्षण संबंधी सुविधायें उपयुक्त/मानक स्तर की न पाये जाने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मान्यता किसी भी समय पूर्व रूखना के समाप्त की जा सकेगी।
- 5- संचालक चिकित्सा सेवाएँ व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय-समय पर जांच करने के लिये, कि समस्त सुविधायें उपयुक्त स्तर की हैं, संस्थान की जांच कर सकेंगे।
- 6- जिस शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निदान/उपचार के लिये पात्रता है, उस शासकीय सेवक को पदस्थापना के निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में कंसलटेन्ट को दिखाना होगा। कंसलटेन्ट द्वारा निदान की गितान्त आवश्यकता के प्रमाण पत्र की जांच एक समिति करेगी, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के डीन तथा मेडीकल और सर्जरी के विभागाध्यक्ष रहेंगे। जिला मुख्यालयों पर उक्त प्रमाण पत्र की जांच सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोगों से संबंधित विशेषज्ञ (रोग विशेषज्ञ) करेंगे।
- 7- उक्त चिकित्सालय में उपचार कराने / परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति उक्त निर्धारित दरों पर की जावेगी। यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित सदस्य इससे महंगी चिकित्सा या अन्य परीक्षण उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार वह स्वयं वहन करेगा।
- 8- उक्त निर्धारित परीक्षणों के दरों की समीक्षा/पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा।

निरन्तर.....2

//2//

- 9- संस्थान को जिन निष्ठांश दर्शों (एफूड रेट लिस्ट) पर मान्यता प्रदान की गई है वही दर्शों पर रोगी की जांच की जावेगी ।
- 10- संस्थान को नर्सिंग होम एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।
- 3/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेश जै)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 9-14/2012/सत्रह/गेडि-3

भोपाल, दिनांक 12/09/2012

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 /2 म.प्र.गवालियर की और वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रप्रेषित ।

- 2- सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 के संदर्भ में अग्रप्रेषित ।
- 3- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. ।
- 4- संचालक, चिकित्सा सेवाएँ/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।
- 5- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र.भोपाल ।
- 6- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. भोपाल ।
- 7- अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल म.प्र. ।
- 8- समस्त संगामीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. ।
- 9- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सि.जेल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र. ।
- 10- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल ।
- 11- संचालक, दीनस एम.आर.आई एण्ड एम.डी.सीटी सेंटर भोपाल

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-03/11/सत्रह/गेडि-3
प्रति,

भोपाल, दिनांक 12/09/2012

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर, म.प्र.,
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.।

विषय:- नवोदय हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल, को शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों की जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता में वृद्धि बाबत।

---000---

राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-03/11/सत्रह/गेडि-3 दिनांक 14/01/2011 के अनुक्रम में नवोदय हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल को शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की जांच/उपचार हेतु दिनांक 14/01/2012 तक दी गई मान्यता अवधि में इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-14/2010/17/गेडि-3, दिनांक 02.02.2012 में उल्लेखित जांच/उपचार हेतु पुर्ननिर्धारित की गई दरों के अनुसार दो वर्ष अर्थात् दिनांक 14/01/2014 तक के लिये वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/-यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेश जैन)
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 9-03/2008/सत्रह/गेडि-3

भोपाल, दिनांक 12/09/2012

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1/2 म.प्र.ग्वालियर की और वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित।

- 2- सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 के संदर्भ में अग्रेषित।
 - 3- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र.।
 - 4- संचालक, चिकित्सा सेवाएं/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।
 - 5- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र.भोपाल।
 - 6- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र.भोपाल।
 - 7- अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल म.प्र.।
 - 8- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र.।
 - 9- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
 - 10- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।
 - 11- संचालक, नवोदय हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल,।
- की और सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन

12.9.2012

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-13/2012/सञ्च/पेडि-3
प्रति,

भोपाल, दिनांक 12/09/2012

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर, म.प्र.,
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,

विषय:- सी.एम.ए.एस. कोहेफिजा रिसर्च प्रा.लिमि. भोपाल को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

.....0000000.....

राज्य शासन एतद्वारा चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 के नियम -2 (घ) के अन्तर्गत सी.एम.ए.एस. कोहेफिजा रिसर्च प्रा.लिमि. भोपाल को शासकीय सेवकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित जांच/उपचार हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

क्र.	उपचार/जांच	दर
1	Total HIP Replacament	81,000/-
2	Total Knee Replacament	99,000/-

2- यह मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी :-

- 1- चिकित्सालय द्वारा संचालक चिकित्सा सेवार्ये द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखनी होगी तथा प्रत्येक माह की 7 तारीख को संचालक चिकित्सा सेवाएँ ग. प्र.भोपाल को भेजी जावेगी।
- 2- चिकित्सालय द्वारा उक्त दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा।
- 3- मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- 4- जानकारी समय पर न भेजने, शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने, संस्थान द्वारा दी जाने वाली परीक्षण संबंधी सुविधायें उपयुक्त/मानक स्तर की न पाये जाने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मान्यता किसी भी समय पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
- 5- संचालक चिकित्सा सेवाएँ व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय-समय पर जांच करने के लिये, कि समस्त सुविधायें उपयुक्त स्तर की हैं, संस्थान की जांच कर सकेंगे।
- 6- जिस शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निदान/उपचार के लिये पत्रता है, उस शासकीय सेवक को पदस्थापना के निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में कंसलटेन्ट को दिखाना होगा। कंसलटेन्ट द्वारा निदान की नितान्त आवश्यकता के प्रमाण पत्र की जांच एक समिति करेगी, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के डीन तथा मेडीकल और सर्जरी के विभागाध्यक्ष रहेंगे। जिला मुख्यालयों पर उक्त प्रमाण पत्र की जांच सिविल सर्जन राह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोगों से संबंधित विशेषज्ञ (रोग विशेषज्ञ) करेंगे।
- 7- उक्त चिकित्सालय में उपचार कराने / परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति उक्त निर्धारित दरों पर की जावेगी। यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित सदस्य इससे महंगी चिकित्सा या अन्य परीक्षण उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार वह स्वयं वहन करेगा।
- 8- उक्त निर्धारित परीक्षणों के दरों की समीक्षा/पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा।

निरन्तर.....2

//2//

- 9- संस्थान को जिन निर्धारित दरों (एप्रूव्ड रेट लिस्ट) पर गान्धिता प्रदान की गई है उन्ही दरों पर रोगी जांच की जावेगी ।
- 10-संस्थान को नर्सिंग जम एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।
- 3/-यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेश जैन)
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 12/09/2012

पृ.क्रमांक एफ 9-13/2012/सत्रह/गेडि-3

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 /2 म.प्र.ग्यालियर की और वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।

- 2- सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार दिनांक 12/09/2012 के संदर्भ में अग्रेषित ।
- 3- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. ।
- 4- संचालक, चिकित्सा सेवाएँ/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।
- 5- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र.भोपाल ।
- 6- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. भोपाल ।
- 7- अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल म.प्र. ।
- 8- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. ।
- 9- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र. ।
- 10- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल ।
- 11- संचालक, सी.एम.ए.एस.कोहेफिजा रिसर्च प्रा.लिमि. भोपाल ।

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग